



राजनीतिक चिन्तन, शासन और सार्वजनिक नीति

मोहित कुमार रस्तोगी

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

सारांश

"सुशासन" प्रभावी लोकतान्त्रिक प्रशासन की आधारशिला है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व और सहभागी निर्णय लेने के सिद्धान्त शामिल हैं। भारत में, "सुशासन" की खोज प्राचीन दार्शनिक आधारों से विकसित होकर समकालीन डिजिटल शासन पहलों तक पहुँच गई है, जो अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में निहित हैं। यह शोधपत्र भारतीय सन्दर्भ में "सुशासन" की अवधारणात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है, जिसमें भारत के शासन परिदृश्य की विशेषता बताने वाले संवैधानिक आधार, संस्थागत तन्त्र, नीतिगत नवाचार और निरन्तर चुनौतियों का विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, "सूचना का अधिकार अधिनियम", डिजिटल शासन मंचों और प्रशासनिक सुधारों जैसी प्रमुख पहलों की जाँच के माध्यम से, यह अध्ययन "सुशासन" मानकों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति का मूल्यांकन करता है, साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान करता है जिन पर निरन्तर ध्यान और सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: शासन, सुशासन, डिजिटल शासन, प्रमुख सिद्धान्त और आयाम, समकालीन घटनाक्रम

1. परिचय

'शासन' शब्द ग्रीक शब्द 'कुबेर्नोस' से आया है जिसका अर्थ है दिशा देना। सरल शब्दों में, शासन का अर्थ है सरकार के भीतर और बाहर की संस्थाओं और हितधारकों की गतिविधियाँ। सुशासन शब्द एक प्रचलित शब्द बन गया है। सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक में लोकप्रिय हुई। क्योंकि 1990 के दशक में विश्व बैंक ने अपनी दो रिपोर्टें प्रकाशित कीं, पहली रिपोर्ट का शीर्षक था "उप-सहारा अफ्रीका: संकट से सतत विकास तक" (1989) और दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक था "शासन और विकास" (1992)।

समकालीन भारत में सतत विकास, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए "सुशासन" एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में उभरा है। यह अवधारणा, हालाँकि प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन में निहित है, आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन और संस्थागत प्रदर्शन के वैश्विक मानकीकरण के सन्दर्भ में नए सिरे से महत्त्व प्राप्त कर चुकी है। विश्व बैंक "सुशासन" को "किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबन्धन में सत्ता के प्रयोग का तरीका" के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी संस्थानों पर जोर दिया जाता है।

भारत की 'सुशासन' की यात्रा दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र में संवैधानिक सिद्धान्तों, संस्थागत संरचना, राजनीतिक गतिशीलता और सामाजिक अपेक्षाओं के जटिल अन्तर्सम्बन्ध को दर्शाती है। लगभग 1.46 अरब की आबादी और 28 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों (UTs)



वाली संघीय संरचना के साथ, भारत की शासन सम्बन्धी चुनौतियाँ पैमाने में अद्वितीय होने के साथ-साथ विकासशील देशों में व्यापक लोकतान्त्रिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। भारत में 'सुशासन' का विश्लेषण राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, और यह इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि कैसे बड़े, विविध लोकतन्त्र केन्द्रीकृत सत्ता और विकेन्द्रीकृत जवाबदेही के बीच तनाव को संभालते हुए लोकतान्त्रिक वैधता और प्रभावशीलता को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा, भारत पूर्व प्रधानमन्त्री **भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी** की जयन्ती के उपलक्ष्य में वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष **25 दिसम्बर** को 'सुशासन दिवस' मनाता है। पिछली बार 2024 में भारत ने **11वाँ 'सुशासन दिवस'** मनाया था, जिसका विषय था "**विकसित भारत की ओर भारत का पथ: सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण**"। भारत में एनडीए सरकार ने सर्वांगीण विकास और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए सभी लोगों को सुशासन प्रदान करने की घोषणा की है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार '**न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन**' (Minimum Government, Maximum Governance) में विश्वास करती है। उनके सन्दर्भ में, सुशासन को लेकर दो लोकप्रिय कहावतें हैं, जैसे "हमें अधिक सरकार की नहीं, शासन की आवश्यकता है" और "हमें केवल शासन नहीं, सुशासन चाहिए"।

2. सुशासन का वैचारिक ढांचा और सुशासन की परिभाषा

1992 में विश्व बैंक ने सुशासन को किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबन्धन में शक्ति के प्रयोग का तरीका के रूप में परिभाषित किया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशान्त (यूनेस्केप) ने सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है, जिनमें शामिल हैं सहभागिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, आम सहमति, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता तथा उत्तरदायित्व। ये सिद्धान्त विभिन्न संस्थागत सन्दर्भों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं और सुधार पहलों के लिए मानदण्ड के रूप में कार्य करते हैं। सुशासन की अवधारणा मात्र प्रशासनिक दक्षता से परे जाकर राज्य और समाज के बीच व्यापक सम्बन्ध को समाहित करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक संस्थाएं सार्वजनिक मामलों का संचालन करें और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबन्धन इस प्रकार करें जो मूल रूप से दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और विधि के शासन का उचित सम्मान किया जाए। यह समग्र समझ संस्थागत अखण्डता, नागरिक सहभागिता और परिणाम-उन्मुख लोक प्रशासन के महत्त्व पर बल देती है।¹¹

3. भारतीय सन्दर्भ में ऐतिहासिक आधार

भारत में सुशासन की अवधारणा की उत्पत्ति भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी के विचारों और भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखी जा सकती है। वास्तव में, भारत का सुशासन का वैचारिक दृष्टिकोण प्राचीन ज्ञान और आधुनिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्त दोनों से प्रेरित है।

कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में सुशासन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि "प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, और उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है।" यह नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण महात्मा गांधी के समकालीन विचारों में व्यक्त होता है।



महात्मा गांधी ने सुशासन के सिद्धान्तों पर आधारित भारत के लिए 'राम राज्य' की अवधारणा का समर्थन किया, जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से यह था कि— भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने का सपना, जहाँ दलितों की आवश्यकताओं, आम लोगों के कल्याण और स्वदेशी उद्योगों के माध्यम से उनकी प्रगति को सर्वोपरि माना जाए।

औपनिवेशिक प्रशासन से लोकतान्त्रिक शासन की ओर संक्रमण के लिए राज्य-नागरिक सम्बन्धों की मौलिक पुनर्कल्पना आवश्यक है। 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान सम्प्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित संवैधानिक शासन की रूपरेखा स्थापित करता है। यह संवैधानिक आधार वह कानूनी और संस्थागत संरचना प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत समकालीन भारत में सुशासन के सिद्धान्त संचालित होते हैं।

4. शक्तियों का पृथक्करण और संस्थागत संरचना

भारत का संविधान शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण के बजाय कार्यों के पृथक्करण की प्रणाली को अपनाता है, जिससे अन्तर्निहित नियन्त्रण और सन्तुलन के साथ संस्थागत विशेषज्ञता का ढांचा तैयार होता है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद और राज्य विधानसभाओं से युक्त विधायी शाखा, कार्यपालिका पर निगरानी रखते हुए प्राथमिक विधि निर्माण अधिकार का प्रयोग करती है। प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् के नेतृत्व वाली कार्यपालिका, नीतियों को लागू करती है और सरकारी कार्यक्रमों का संचालन करती है, साथ ही विधायिका के प्रति जवाबदेह भी रहती है। अनुच्छेद 50 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त (DPSP) के रूप में निहित न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, विधि के शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता को सुनिश्चित करके सुशासन का एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसे संवैधानिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वाले कानूनों या कार्यपालिका कार्यों को अमान्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सन्तुलन बना रहता है। यह संस्थागत संरचना नागरिक भागीदारी और शिकायत निवारण के लिए कई पहुँच बिन्दु बनाती है, साथ ही किसी एक संस्था को शासन प्रक्रिया पर हावी होने से रोकती है।

5. भारत में सुशासन के प्रमुख सिद्धान्त और आयाम

पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता सुशासन का आधार स्तम्भ है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी निर्णयों से प्रभावित लोगों को सूचना स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध और सुलभ हो। भारत में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँचने के लिए कानूनी तन्त्र प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। आरटीआई अधिनियम नागरिक सशक्तीकरण के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, जो सरकारी कार्यों की सार्वजनिक जाँच को सक्षम बनाता है और सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण आवश्यकताओं के कार्यान्वयन से सरकारी एजेन्सियों को अपने संगठन, कार्यों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सेवा वितरण मानकों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी स्वेच्छा से प्रकाशित करना अनिवार्य हो जाता है। यह दृष्टिकोण व्यवस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए नागरिकों और सरकार दोनों पर बोझ कम करता है। केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग



अपीलीय प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं, जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता आवश्यकताओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

नागरिक भागीदारी और लोकतान्त्रिक सहभागिता

प्रभावी शासन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक नागरिक भागीदारी आवश्यक है, जो चुनावी भागीदारी से आगे बढ़कर नीति निर्माण और कार्यान्वयन में निरन्तर सहभागिता को भी शामिल करती है। 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से “सहभागी शासन” को संस्थागत रूप दिया, जिससे स्थानीय शासन में नागरिक भागीदारी के लिए औपचारिक तन्त्र स्थापित हुए।

इन संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को जनता के करीब लाती है और विकास योजना और कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम बनाती है। माई गवर्नमेण्ट (MyGov) प्लेटफॉर्म और नीतिगत मसौदों के लिए सार्वजनिक परामर्श जैसी समकालीन पहलें डिजिटल माध्यमों से नागरिक भागीदारी का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 2024 के आम चुनावों में 65.79% मतदान हुआ, जो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में नागरिक सहभागिता के उच्च स्तर को दर्शाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के तहत सामाजिक लेखापरीक्षाएं (Social Audit) इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे नागरिक भागीदारी जवाबदेही को बढ़ा सकती है और कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार कर सकती है।

विधि का शासन और न्यायिक स्वतन्त्रता

विधि का शासन सुशासन की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके तहत सरकार सहित सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को कानून के अधीन और उसके प्रति जवाबदेह होना अनिवार्य है। भारत का संवैधानिक ढांचा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जिसे कानूनों की व्याख्या करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकारी कार्यों को कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों संवैधानिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय जिला और स्थानीय स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करते हैं। विधि के शासन को मजबूत करने के लिए लम्बित मामलों की संख्या कम करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और न्याय तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से न्यायिक सुधार आवश्यक हैं। 2011 में स्थापित राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों और प्रदर्शन मानकों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाते हुए विलम्ब और लम्बित मामलों को कम करके न्याय तक पहुँच बढ़ाने पर केन्द्रित है। लोक अदालतों और मध्यस्थता केन्द्रों सहित वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र, विवाद समाधान के अतिरिक्त रास्ते प्रदान करते हैं और औपचारिक न्यायालय प्रणालियों पर बोझ कम करते हैं।

शासन सम्बन्धी पहलें और सुधार: डिजिटल शासन और ई-प्रशासन

भारत की डिजिटल शासन सम्बन्धी पहलें सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। 2015 में शुरू किए गए **डिजिटल इण्डिया मिशन** का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना विकास, सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और सार्वभौमिक



डिजिटल साक्षरता जैसे तीन प्रमुख घटकों के माध्यम से राष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।

इस व्यापक दृष्टिकोण ने एकीकृत प्लेटफॉर्मों के निर्माण को सुगम बनाया है जो विभिन्न सरकारी विभागों और स्तरों पर निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम बनाते हैं। नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (UMANG) जैसे ई-शासन प्लेटफॉर्मों के कार्यान्वयन से नागरिकों को 300 से अधिक सरकारी सेवाओं तक एकल-खिड़की पहुँच प्राप्त होती है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ आधार के एकीकरण ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) को सक्षम बनाया है, भ्रष्टाचार को कम किया है और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लक्षित उपयोग में सुधार किया है। सरकारी विभागों में ई-कार्यालय प्रणालियों ने कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया है और फाइल आवाजाही और निर्णय लेने की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाया है।

6. प्रशासनिक सुधार और क्षमता निर्माण

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धान्त ने नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करते हुए सेवा वितरण की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों का मार्गदर्शन किया है। इन सुधारों में लगभग 1,600 अप्रचलित कानूनों का उन्मूलन, कुछ सरकारी पदों के लिए साक्षात्कारों का उन्मूलन और नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (मिशन कर्मयोगी) भूमिका-आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रबन्धन के माध्यम से सिविल सेवा क्षमताओं को रूपान्तरित करने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 2019 में शुरू किया गया सुशासन सूचकांक (Good Governance Index), राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शासन प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मात्रात्मक ढांचा प्रदान करता है। यह सूचकांक कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योगों, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताओं, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, शासन सहित कई आयामों को कवर करता है।

7. वित्तीय प्रबन्धन और राजकोषीय शासन

सुचारू वित्तीय प्रबन्धन अच्छे शासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए पारदर्शी बजट प्रक्रियाएं, संसाधनों का कुशल आवंटन और प्रभावी निगरानी तन्त्र आवश्यक हैं। भारत के राजकोषीय शासन ढांचे में वित्तीय जवाबदेही के लिए संवैधानिक प्रावधान, सार्वजनिक व्यय की संसदीय निगरानी और नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसे स्वतन्त्र लेखापरीक्षा संस्थान शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन कर प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अनुपालन को बढ़ाता है। राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता पर सरकार का जोर सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (PFMS) जैसी पहलों में परिलक्षित होता है, जो निधि प्रवाह की वास्तविक समय में निगरानी करती है और पारदर्शी खरीद के लिए जीईएम (GeM - सरकारी ई-मार्केटप्लेस) प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी लेनदेन में वास्तविक समय में पारदर्शिता प्रदान करके और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करके जवाबदेही बढ़ाते हैं।



8. क्षमता सम्बन्धी बाधाएं और अवसंरचना कमियां

भारत की शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण क्षमता सम्बन्धी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की इसकी क्षमता को सीमित करती हैं। इन बाधाओं में अपर्याप्त मानव संसाधन, पुरानी अवसंरचना, अपर्याप्त प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम और कई सरकारी विभागों में सीमित तकनीकी क्षमताएं शामिल हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर योग्य कर्मियों की कमी सेवा वितरण की गुणवत्ता और समयबद्धता को प्रभावित करती है। न्यायिक सुविधाओं, प्रशासनिक भवनों और तकनीकी प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना की कमियां कुशल शासन में बाधा डालती हैं। “न्याय वितरण के लिए राष्ट्रीय मिशन” अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देता है, जिसके तहत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 2021-22 से 2025-26 तक न्यायिक अवसंरचना विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रभावी शासन को समर्थन देने के लिए अन्य सरकारी विभागों में भी इसी प्रकार के निवेश की आवश्यकता है।

9. समन्वय और कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतियाँ

भारतीय शासन की संघीय संरचना, विकेन्द्रीकरण और स्थानीय जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ, सरकार के विभिन्न स्तरों पर समन्वय सम्बन्धी चुनौतियाँ भी पैदा करती है। अधिकारक्षेत्रों का अतिक्रमण, जिम्मेदारियों का अस्पष्ट विभाजन और अपर्याप्त अन्तर-सरकारी समन्वय तन्त्र नीतिगत विखण्डन और कार्यान्वयन में देरी का कारण बन सकते हैं। सरकारी सेवाओं के वितरण में शामिल एजेंसियों और विभागों की बहुलता कभी-कभी प्रयासों के दोहराव और परस्पर विरोधी उद्देश्यों का कारण बनती है। कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतियाँ विशेष रूप से दूरस्थ और हाशिए पर स्थित समुदायों तक पहुँचने में अधिक स्पष्ट होती हैं, जहाँ सरकारी उपस्थिति सीमित है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता तक असमान पहुँच से चिह्नित डिजिटल विभाजन, समावेशी शासन के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। इन समन्वय और कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्तर-सरकारी सहयोग के संस्थागत तन्त्रों को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शासन सुधार समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें।

10. तुलनात्मक मूल्यांकन और अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग-वैश्विक शासन संकेतक

अन्तर्राष्ट्रीय शासन संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन प्रगति का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण मानदण्ड प्रदान करता है। विश्व बैंक के वैश्विक शासन संकेतक छह आयामों पर देशों का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि आवाज और जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति, सरकारी प्रभावशीलता, नियामक गुणवत्ता, कानून का शासन और भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण। इन संकेतकों पर भारत का स्कोर BBB माधिका से नीचे बना हुआ है, जो शासन में अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों को दर्शाता है। व्यापार करने में सुगमता (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस) रैंकिंग में, जहाँ भारत ने 2014 में 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान पर पहुँचकर उल्लेखनीय सुधार किया है, नियामक सुधारों और



डिजिटल पहलों का व्यापारिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित होता है। दिवालियापन का समाधान, निर्माण परमिट से निपटना और सीमा पार व्यापार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लक्षित सुधार प्रयासों को दर्शाते हैं। हालाँकि, अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के मानकों तक पहुँचने के लिए निरन्तर सुधार की आवश्यकता है।

11. अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख

शासन सुधारों में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव भारत के निरन्तर सुधार प्रयासों के लिए बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और एस्टोनिया जैसे देशों ने यह प्रदर्शित किया है कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग, सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाएं और मजबूत संस्थागत अखण्डता किस प्रकार शासन परिणामों को बेहतर बना सकती हैं। इन देशों में नागरिक-केन्द्रित सेवा वितरण, प्रदर्शन मापन और निरन्तर सुधार पर जोर देने से ऐसे मॉडल मिलते हैं जिन्हें भारतीय सन्दर्भ में अपनाया जा सकता है।

सफल शासन सुधारों को आगे बढ़ाने में राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक क्षमता और हितधारकों की भागीदारी का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों से स्पष्ट है। जिन देशों ने शासन में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए हैं, उन्होंने आमतौर पर दीर्घकालिक क्षमता निर्माण, संस्थागत सुधारों और सांस्कृतिक परिवर्तन पहलों में निवेश किया है। ये सीख शासन की गुणवत्ता में सार्थक सुधार प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

12. नीतिगत सुधार और संस्थागत सुदृढीकरण

चल रहे नीतिगत सुधारों का मुख्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता को सुदृढ करना, नियामक ढांचों में सुधार करना और नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना है। कौशल विकास और नवाचार पर जोर देने वाली **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP)** का कार्यान्वयन प्रभावी शासन के लिए आवश्यक मानव पूंजी के निर्माण का लक्ष्य रखता है। इसी प्रकार, श्रम कानूनों, पर्यावरण नियमों और वित्तीय क्षेत्र के शासन जैसे क्षेत्रों में सुधार आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर जोर, बेहतर डेटा संग्रह और विश्लेषण क्षमताओं द्वारा समर्थित, सरकारी निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। शासन सम्बन्धी मुद्दों पर केन्द्रित अनुसंधान संस्थानों और विचारकों (Think Tanks) की स्थापना सुधार पहलों के लिए बौद्धिक समर्थन प्रदान करती है। नीति विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए इन संस्थागत तन्त्रों को सुदृढ करना शासन की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार के लिए आवश्यक है।

13. निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1950 में स्थापित संवैधानिक ढांचा लोकतान्त्रिक शासन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, जबकि बाद के सुधारों और नवाचारों ने उभरती चुनौतियों और अवसरों को सम्बोधित करने का प्रयास किया है। आरटीआई अधिनियम 2005 जैसे ऐतिहासिक कानूनों का कार्यान्वयन, डिजिटल शासन प्लेटफॉर्मों का विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में प्रयास भारत की शासन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालाँकि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, क्षमता निर्माण और



सरकारी सेवाओं तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों की निरन्तरता, एक विविधतापूर्ण समाज में शासन की जटिलता और कई आयामों में निरन्तर प्रयास की आवश्यकता को दर्शाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएं उन क्षेत्रों को उजागर करती हैं जहां भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से पीछे है, जबकि व्यावसायिक वातावरण सुधारों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति भी दर्शाती हैं। भारत में सुशासन का भविष्य संस्थागत क्षमता, तकनीकी नवाचार और नागरिक सहभागिता में निरन्तर निवेश पर निर्भर करता है। उभरती प्रौद्योगिकियों का पारम्परिक शासन तन्त्रों के साथ एकीकरण सेवा वितरण और जवाबदेही में परिवर्तनकारी सुधारों के अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इन अवसरों को साकार करने के लिए डिजिटल समावेश, गोपनीयता संरक्षण और लोकतान्त्रिक भागीदारी के मुद्दों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

शासन सुधारों की सफलता अन्ततः लोकतान्त्रिक वैधता को बनाए रखते हुए दक्षता, जवाबदेही और समावेशिता की परस्पर विरोधी मांगों को सन्तुलित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत की संघीय संरचना नवाचार के अवसर और समन्वय के लिए चुनौतियां दोनों प्रदान करती है, जिनका सावधानीपूर्वक प्रबन्धन आवश्यक है। बदलती सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप शासन प्रथाओं का निरन्तर विकास भारत के लोकतान्त्रिक संस्थानों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, भारत के शासन एजेन्डे में संस्थागत अखण्डता को मजबूत करने, नागरिक भागीदारी बढ़ाने और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पिछले कई दशकों में शासन सुधारों को लागू करने का अनुभव भविष्य की पहलों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है, साथ ही निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता और हितधारकों की सहभागिता के महत्त्व को भी उजागर करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जैसे-जैसे भारत अपने विकास पथ पर आगे बढ़ता है, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए "सुशासन" की खोज अनिवार्य बनी हुई है।

सन्दर्भ

1. द इण्डियन एक्सप्रेस, विश्व बैंक के शासन संकेतकों में पारदर्शिता की आवश्यकता: सीईए [इण्टरनेट], 16 नवम्बर 2023, 3 जुलाई 2025 को उद्धृत। <https://indianexpress.com/article/business/banking-andfinance/need-for-world-banks-governance-indicatorsto-be-transparent-cea-9028337/>
2. आईलर्न कनाडा, भारत में 'सुशासन' इण्टरनेट, 25 दिसम्बर 2021, 3 जुलाई 2025 को उद्धृत। <https://ilearncana.com/details/GOOD-GOVERNANCEIN-INDIA/2807>
3. एमसीआरएचआरडीआई, 'सुशासन' सिद्धान्त और पहल इण्टरनेट, उद्धृत 2025 जुलाई 31 <https://www.mcrhrdi.gov.in/images/samriddhi/number2/6.Good%20Governance>
4. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, 'सुशासन' में न्यायपालिका की भूमिका, इण्टरनेट, उद्धृत 3 जुलाई 2025। https://highcourtchd.gov.in/sub_pages/left_menu/publish/articles/articles_pdf/goodgovernance
5. इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, भारत में नागरिक भागीदारी और साझा शासन इण्टरनेट, 2024 उद्धृत 2025 जुलाई 31 <https://ijert.org/download1.php?file=IJCRT2409186>



6. इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एनालिटिकल रिव्यूज, न्यायपालिका में सुधार: प्रभावी शासन के लिए भारत की कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना इण्टरनेट, उद्धृत 2025 जुलाई 3 | <https://www.ijrar.org/papers/IJRAR19D4966>
7. इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, कागज से पिक्सेल तक: भारत की ई-गवर्नेन्स परिवर्तन यात्रा की खोज [इण्टरनेट], 2023 अक्टूबर उद्धृत 2025 जुलाई 3 | <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2310064>
8. माईगव- नए भारत के लिए प्रशासनिक सुधार: समस्या समाधान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण इण्टरनेट, 11 अगस्त 2021, 3 जुलाई 2025 को उद्धृत। <https://blog.mygov.in/administrative-reforms-for-anew-india-a-systematic-approach-to-problem-solving/>
9. द इण्डियन एक्सप्रेस, ट्रांसपेरेंसी इण्टरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है इण्टरनेट, 13 अगस्त 2022, 3 जुलाई 2025 को उद्धृत। <https://indianexpress.com/article/india/india-ranks-85in-transparency-internationals-corruption-index7741760/>
10. एसएसआरएन- भारत में 'सुशासन': चुनौतियां और आगे का रास्ता, इण्टरनेट, 15 अगस्त 2023, 3 जुलाई 2025 को उद्धृत। https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID4541275_code6078896.pdf?abstractid=4541275&mirid=1
11. हार्वर्ड विश्वविद्यालय, भारत में 'सुशासन' की चुनौती, इण्टरनेट, ऐश सेण्टर, उद्धृत 3 जुलाई 2025 | <https://ash.harvard.edu/wpcontent/uploads/2024/02/103461>
12. प्रेस सूचना ब्यूरो, विश्व बैंक की ड्रूंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 63वें स्थान पर है, इण्टरनेट। 24 अक्टूबर 2019, 3 जुलाई 2025 को उद्धृत। <https://www.pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=193994>
13. जीएसडीआरसी, भारत में सेवाओं में सुधार: सफलता से सबक लेना, इण्टरनेट, उद्धृत 3 जुलाई 2025 | <https://gsdrc.org/document-library/reforming-services-in-india-drawing-lessons-from-success/>
14. न्याय विभाग, राष्ट्रीय मिशन और न्यायिक सुधार, इण्टरनेट, 1 अप्रैल 2021, उद्धृत 3 जुलाई 2025 | <https://doj.gov.in/national-missionjudicial-reforms/>